

**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक**

**के**

**महत्त्वपूर्ण सहायक संस्थाओं की निर्धारण नीति**

**POLICY FOR DETERMINING MATERIAL SUBSIDIARIes OF**

**SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA**

[सेबी (सूचीबद्धता के लिए दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 और अन्य लागू प्रावधानों के विनियम संख्या 16 (1) (सी) सेबी के विनियम 62L के साथ पठनीय के अनुसार]

सिडबी के निदेशक मंडल ने दिनांक 08 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी 227वीं बैठक में इस संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है।

[Pursuant to Regulation no. 16 (1) (c), read with Regulation 62L of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions]

जारी करने की तिथि: August 08, 2025 Issue Date: August 08, 2025

संस्करण: 2.0 Version: 2.0

The Board of Directors of SIDBI in their 227 th Meeting held on August 08, 2025 has approved this amended policy)

विषय सूची Table of Contents

[**I.** **परिचय** **INTRODUCTION** 2](#_Toc203388371)

[**II.** **उद्देश्य** **OBJECTIVE** 3](#_Toc203388372)

[**III.** **परिभाषाएँ** **DEFINITIONS** 3](#_Toc203388373)

[**IV.** **नीति** **POLICY:** 5](#_Toc203388374)

[**V.** **सामान्य स्वतंत्र निदेशक** **COMMON INDEPENDENT DIRECTOR:** 7](#_Toc203388375)

[**VI.** **संशोधन** **AMENDMENTS** 7](#_Toc203388376)

[**VII.** **नीति की समीक्षा** **REVIEW OF POLICY** 7](#_Toc203388377)

[**VIII.** **नीति का संलग्नक प्रसार** **DISSEMINATION OF POLICY** 8](#_Toc203388379)

[**IX.** **ANNEXURE** 8](#_Toc203388380)

**संस्करण नियंत्रण Version Control**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| संस्करण Version | अनुमोदन/ समीक्षा की तिथि  Date of approval / REview | द्वारा अनुमोदित  Approved by |
| 1.0 | 06 फरवरी /February, 2023 | निदेशक मण्डल  Board of Directors |
| 2.0 | 08 अगस्त /August , 2025 | निदेशक मण्डल  Board of Directors |

# **परिचय INTRODUCTION**

सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 16 (1) (सी) के अनुसार, " महत्त्ववपूर्ण सहायक संस्था " से तात्पर्य उस सहायक संस्था से होगा, जिसका तत्काल पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष के दौरान [कुल कारोबार] या निवल मालियत, सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक संस्थाओं के क्रमश:समेकित [कुल कारोबार] या निवल मूल्य के **[दस] प्रतिशत से** अधिक रहता है।

As per Regulation 16(1)(c) of SEBI (LODR) 2015, ***“****material subsidiary****”*** *shall mean a subsidiary, whose [turnover] or net worth* ***exceeds [ten] percent*** *of the consolidated [turnover] or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.*

स्पष्टीकरण – ‘महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था के निर्धारण के लिए सूचीबद्ध इकाई एक नीति तैयार करेगी।

*Explanation. - The listed entity shall formulate a policy for determining ‘material’ subsidiary.*

इसके अलावा, अध्याय VA के तहत विनियम 62 L के उप विनियम (1) के अनुसार, उच्च मूल्य के ऋण वाली सूचीबद्ध इकाई, एचवीडीएल के निदेशक मंडल से न्यूनतम एक स्वतंत्र निदेशक, गैर-सूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था के निदेशक मंडल में निदेशक रहेगा, चाहे वह भारत में निगमित हो या नहीं।

Further, as per, Sub regulation(1) of Regulation 62L under Chapter VA, *at least one independent director, on the board of directors of the High Value Debt Listed Entity, HVDLE, shall be a director on the board of directors of an unlisted material subsidiary, whether incorporated in India or not.*

*स्पष्टीकरण: - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था" शब्द का तात्पर्य उस सहायक संस्था से होगा, जिसकी आय या निवल मालियत तत्काल विगत लेखांकन वर्ष में सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक संस्थाओं की क्रमश: समेकित आय या निवल मालियत से* ***बीस प्रतिशत*** *से अधिक रहती है।*

*Explanation: — For the purposes of this regulation, the term “material subsidiary” shall mean a subsidiary, whose income or net worth exceeds* ***twenty per cent.*** *of the consolidated income or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.*

तदनुसार, सिडबी एक एचवीडीएलई होने के नाते, सिडबी के संबंध में महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था का अर्थ उस सहायक संस्था से होगा, जिसकी आय या कुल कारोबार या निवल मालियत तत्काल विगत लेखांकन वर्ष में सिडबी और उसकी सहायक संस्थाओं के क्रमशः समेकित कुल कारोबार या या निवल मूल्य से **दस प्रतिशत** अधिक रहता है।

Accordingly, SIDBI being a HVDLE, Material subsidiary in relation to SIDBI shall mean a subsidiary, whose income or turnover or net worth exceeds **Ten percent** of the consolidated Income or turnover or net worth respectively, of SIDBI and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

तथापि, विनियम 62L के अनुसार, सिडबी के एक स्वतंत्र निदेशक की किसी गैर-सूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्ति तभी लागू होगी जब संबंधित सहायक कंपनी की आय या कुल कारोबार या निवल मूल्य सिडबी और उसकी सहायक संस्थाओं की तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में क्रमश:समेकित आय या कुल कारोबार या निवल मूल्य के **बीस प्रतिशत** से अधिक हो।

However, as per regulation 62L, appointment of one Independent Director of SIDBI as director on the board of directors of an unlisted material subsidiary will be applicable only when the concerned subsidiary’s income or turnover or net worth exceeds **Twenty per cent** of the consolidated income or turnover or net worth respectively, of SIDBI and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

यह नीति एक महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था के निर्धारण के लिए मानदंड निर्धारित करेगी और इसे "सिडबी की महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था की निर्धारण नीति" कहा जाएगा।

This policy shall set out the criteria for determining a material subsidiary and shall be called as “Policy for Determining Material Subsidiaries of SIDBI”.

# **उद्देश्य OBJECTIVE**

इस नीति का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण सहायक संस्थाओं' के निर्धारण के लिए आधार निर्धारित करना है और इस नीति के मद IV में निर्दिष्ट अनुसार ऐसी महत्त्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के लिए एक अभिशासन ढांचा प्रदान करना है।

The objective of the Policy is to determine the basis for determining ‘Material Subsidiaries’ and to provide a governance framework as specified in point IV of this policy for such material subsidiaries.

यह नीति सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 62एल के साथ पठित विनियम 16 (1) (सी) की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई है।

The Policy is framed in accordance with the requirements of the Regulations 16 (1) (c) read with regulation 62L of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

# **परिभाषाएँ DEFINITIONS**

लेखापरीक्षा समिति या समिति" का अर्थ है सिडबी की "लेखा परीक्षा समिति"।

“Audit Committee or Committee” means “Audit Committee” of SIDBI.

"निदेशक मंडल" या "बोर्ड" का अर्थ है सिडबी के निदेशक मंडल के सदस्य।

“Board of Directors” or “Board” means the members of the Board of Directors of SIDBI.

"सिडबी" का अर्थ है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक।

**“SIDBI”** means Small Industries Development Bank of India.

**"स्वतंत्र निदेशक"** विनियम संख्या 16 (1) (बी) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, **स्वतंत्र निदेशक** से तात्पर्य एक 'उच्च मूल्य के ऋण सूचीबद्धता वाली इकाई' के मामले में, जो एक निकाय कॉर्पोरेट है, के लिए स्थापित कानून के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करने के लिए अधिदेश दिया गया है तथा इसके बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।

**“Independent Director**” means Pursuant to explanation given under Regulation no. 16 (1) (b) in case of a ‘high value debt listed entity’ which is a body corporate, mandated to constitute its board of directors in a specific manner in accordance with the law under which it is established, the non- executive directors on its board shall be treated as independent directors.

**"नीति"** का अर्थ है यह नीति, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।

**“Policy”** means this Policy, as amended from time to time.

"**सहायक संस्था** " का अर्थ धारक कंपनी के संबंध में उस कंपनी से होगा जो (i) निदेशक मंडल की संधटन नियंत्रित करती है; या (ii) कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण या तो स्वयं के या एक या अधिक सहायक संस्थाओं के साथ मिलकर:

“**Subsidiary**” shall mean a company in relation to the holding company that (i) controls the composition of the Board of Directors; or (ii) exercises or controls more than one-half of the total share capital either at its own or together with one or more of its subsidiary companies:

*"महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था" का तात्पर्य एक सहायक संस्था से होगा, जिसका उल्लेख समय-समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 62L के उप विनियम (1) के साथ पठित विनियम 16 (1) (सी) के तहत परिभाषित किया गया है।*

*“Material Subsidiary” shall mean a subsidiary, as defined under Regulation 16(1)(c) read with Sub regulation (1) of Regulation 62L of SEBI (LODR) 2015, as amended from time to time.*

**"महत्त्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक संस्था"** से तात्पर्य एक महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था से है जो भारत में निगमित है और भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं है।

“**Material unlisted Indian Subsidiary**” shall mean a Material Subsidiary which is incorporated in India and is not listed on the Indian Stock Exchanges.

**“महत्वपूर्ण संव्यवहार या व्यवस्था"** से तात्पर्य होगा कि कोई भी एकल संव्यवहार या व्यवस्था जो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान गैर सूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था के कुल राजस्व या कुल व्यय या कुल आस्तियों या कुल देनदारियों के 10% से अधिक होने की संभावना है।

“**Significant Transaction or Arrangement**” shall mean any individual transaction or arrangement that exceeds or is likely to exceed 10% of the total revenues or total expenses or total assets or total liabilities, as the case may be, of the unlisted material subsidiary for the immediately preceding financial year.

यहां परिभाषित नहीं किए गए किसी भी अन्य शब्द का अर्थ सूचीबद्धता करार, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमावली) अधिनियम, 1956 या किसी अन्य लागू कानून या विनियम में की गई परिभाषा के समान होगा।

Any other term not defined herein shall have the same meaning as defined in the Listing Agreement, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or any other applicable law or regulation.

# **नीति POLICY:**

महत्त्वपूर्ण सहायक संस्थाओं से संबंधित शासन ढांचा निम्नानुसार होगा:

The governance framework pertaining to material subsidiaries shall be as under:

1. **सिडबी की लेखापरीक्षा समिति The Audit Committee of SIDBI shall**
2. महत्त्वपूर्ण सहायक संस्थाओं और महत्त्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक संस्थाओं की सूची की वार्षिक आधार पर समीक्षा करें।

review list of material subsidiaries and material non-listed Indian subsidiaries on annual basis

1. महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था के वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करें,

review the financial statements of material subsidiary,

1. सिडबी की महत्त्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेश और

the investments made by the material unlisted subsidiary of SIDBI and

1. गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्त्वपूर्ण संव्यवहार और व्यवस्थाओं का समीक्षा विवरण।

review statement of all significant transactions and arrangements entered into by the unlisted subsidiary company.

1. **सिडबी, अपनी आम बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अपने सदस्यों (शेयरधारकों) के पूर्व अनुमोदन के बिना, निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:**

**SIDBI, without the prior approval of its members (shareholders) by Special Resolution in its General Meeting, shall not:**

1. अपनी गैर सूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था में शेयरों का निपटान करना जो अपनी शेयरधारिता (या तो अपने आप या अन्य सहायक संस्थाओं के साथ मिलकर) को पचास प्रतिशत से कम या उसके समान कर देता है; या सहायक कंपनी पर नियंत्रण छोड़ देता है ।

dispose of shares in its unlisted Material Subsidiary that reduces its shareholding (either on its own or together with other subsidiaries) to less than or equal to fifty percent ; or relinquish the control over the Subsidiary.

उन मामलों को छोड़कर जहां इस तरह का विनिवेश किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत किया जाता है, या दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत विधिवत अनुमोदित समाधान योजना के तहत किया जाता है और समाधान योजना के अनुमोदन के एक दिन के अंदर ऐसी घटना का प्रकटीकरण मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाता है।

except in cases where such divestment is made under a scheme of arrangement duly approved by a Court/Tribunal, or under a resolution plan duly approved under section 31 of the Insolvency Code and such an event is disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.

1. वित्तवर्ष के दौरान कुल आधार पर गैर-सूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था की आस्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक की राशि की आस्तियों को बेचना, निपटाना या पट्टे पर देना, जब तक कि ऐसे मामलों में जहां विनिवेश/बिक्री/निपटान/पट्टा न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत या दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत विधिवत अनुमोदित समाधान योजना के तहत किया गया हो और समाधान योजना स्वीकृत होने के एक दिन के अंदर इस तरह की घटना का प्रकटीकरण मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाता है

sell, dispose or lease the assets amounting to more than twenty percent of the assets of the unlisted material subsidiary on an aggregate basis during a financial year, unless in cases where the divestment/sale/disposal/lease is made under a scheme of arrangement duly approved by a Court/Tribunal or under a resolution plan duly approved under section 31 of the Insolvency Code and such an event is disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.

इसके अलावा, यदि इस तरह की बिक्री, निपटान या आस्तियों का पट्टा सिडबी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं के बीच है, तो शेयरधारकों का अनुमोदन लागू नहीं होता है।

Further, if such sale, disposal or lease of assets is between two wholly owned subsidiaries of SIDBI, approval of shareholders is not applicable.

1. **सिडबी के निदेशक मंडल Board of Directors of SIDBI**
2. गैर सूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्तों को सिडबी के निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

The minutes of the meetings of the board of directors of the unlisted material subsidiary shall be placed at the meeting of the board of directors of SIDBI.

1. गैर सूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था का प्रबंधन समय-समय पर सभी गैर-सूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण संव्यवहारों और व्यवस्थाओं का विवरण सिडबी के निदेशक मंडल के ध्यान में लाएगा,
2. The management of the unlisted material subsidiary shall periodically bring to the notice of the board of directors of SIDBI, a statement of all **significant transactions** **and arrangements** entered into by the unlisted material subsidiary.

नोट: महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट सिडबी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होगी।

Note: The secretarial compliance report of the material subsidiary shall form part of the Annual report of the SIDBI.

# **सामान्य स्वतंत्र निदेशक : COMMON INDEPENDENT DIRECTOR:**

विनियम 62एल के अनुसार, सिडबी अपने निदेशक मण्डल से से एक स्वतंत्र निदेशक को एक गैर-सूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में तब नियुक्त करेगा, जब तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में संबंधित सहायक कंपनी की आय या कुल कारोबार या निवल मालियत सिडबी और उसकी सहायक संस्थाओं की क्रमश: समेकित आय या कुल कारोबार या निवल मालियत के **बीस प्रतिशत** से अधिक हो।

As per regulation 62L, SIDBI shall appoint one of its Independent Director on its Board as director on the board of directors of an unlisted material subsidiary, when the concerned subsidiary’s income or turnover or net worth exceeds **Twenty per cent** of the consolidated income or turnover or net worth respectively, of SIDBI and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

प्रत्येक वित्तवर्ष में लेखा परीक्षा समिति की पहली बैठक के दौरान सिडबी अपनी महत्त्वपूर्ण सहायक संस्थाओं की पहचान करेगा।

SIDBI during the 1st meeting of Audit Committee every Financial Year shall identify its Material Subsidiaries.

महत्त्वपूर्ण सहायक संस्था की सूची **संलग्नक** के अनुसार है। List of Material Subsidiary is as per **Annexure.**

# **संशोधन AMENDMENTS**

बोर्ड, लागू कानूनों के अधीन रहते हुए, किसी भी प्रावधान (उपबंधों) में संशोधन कर सकता है या किसी भी प्रावधान (प्रावधानों) को नए प्रावधानों (प्रावधानों) के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है या लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर नीति को पूरी तरह से एक नई नीति में परिवर्तित कर सकता है।

The Board may, subject to applicable laws amend any provision(s) or substitute any of the provision(s) with the new provision(s) or replace the Policy entirely with a new Policy, based on the recommendations of the Audit Committee.

# **नीति की समीक्षा** **REVIEW OF POLICY**

प्रति तीन वर्ष में न्यूनतम एक बार या जब भी विनियमों में परिवर्तिन होता है, तब बोर्ड द्वारा नीति की समीक्षा की जाएगी और तदनुसार उसमें अद्यतन किया जाएगा।

The policy shall be reviewed by the Board at least once every three years or as and when regulations change and updated accordingly.

# **नीति का प्रसार** **DISSEMINATION OF POLICY**

यह नीति बैंक के इंट्रा-नेट, बुलेटिन बोर्ड और वेबसाइट पर होस्ट की जाएगी और वार्षिक रिपोर्ट में इसका एक वेब-लिंक प्रदान किया जाएगा।

This policy shall be hosted on the intra-net, bulletin board and website of the Bank and a web-link thereto shall be provided in the Annual Report.

# **परिशिष्ट ANNEXURE**

**(सहायक संस्थाओं के लिए महत्त्वपूर्ण सहायक संस्थाओं और कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का निर्धारण करने की नीति)**

**(To Policy for Determining Material Subsidiaries and corporate governance requirements with respect to subsidiaries)**

**यथा 31.03.2025 तक महत्त्वपूर्ण सहायक संस्थाओं की सूची:**

**List of Material Subsidiaries as on 31.03.2025:**

**महत्त्वपूर्ण सूचीबद्ध सहायक कंपनी**

**Material Listed Subsidiary**

**शून्य। Nil.**

**महत्त्वपूर्ण गैर सूचीबद्ध सहायक कंपनी:**

**Material Unlisted Subsidiary:**

1. **माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड**

Micro Units Development & Refinance Agency Limited

\*\*\*